कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462003)
Website: - www.klsgaci.edu.in
दूरभाष क्रं. – 0755 – 2970310
E - mail: - principal@klsgaci.nic.in

क्रमांक / 2023 / स्थापना / 1643   भोपाल, दिनांक 19 / 6 / 2023

विज्ञापन

कनिष्ठ शोध अध्येता (JRF)सेवा अनुबंध हेतु।

भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेदीय औषधि गुणवत्ता उन्नयन एवं संवर्धन योजना (AOGUSY) के अन्तर्गत संचालित फार्मेकोविजिलेंस कार्यक्रम में 01 कनिष्ठ शोध अध्येता (JRF) की सेवाएं प्रोजेक्ट अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर प्राप्त करने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र, वायोडाटा एवं शैक्षणिक दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ दिनांक 06 जूलाई 2023 सायं 05:00 बजे तक आमत्रित किये जाते है।

शैक्षणिक योग्यता:– (अ) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय तथा सी.सी.आई.एम./एन.सी.आई.एस.एम. नईदिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त बी.ए.एम.एस. डिग्री एवं संबंधित बोर्ड में पंजीकृत।

(ब) कम्प्यूटर एम.एस. ऑफिस का ज्ञान।

(स) भारत सरकार आयुष मंत्रालय के अन्तर्गत संचालित परियोजना में कार्यानुभव को वरीयता।

नोटः– आवेदन संबंधी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तें, आवेदन प्रपत्र सहित संस्थान की वेबसाइट www.klsgaci.edu.in पर उपलब्ध है।

(डॉ. उमेश शुक्ला)
प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेदीय औषधि गुणवत्ता उन्नयन एवं संवर्धन योजना (AOGUSY) के अन्तर्गत संचालित फार्मेकोविजिलेंस कार्यक्रम

कनिष्ठ शोध अध्येता (JRF)सेवा अनुबंध हेतु।

//नियम एवं शर्ते//

1. **शैक्षणिक योग्यताः–** (अ) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय तथा CCIM/NCISM नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त बी.ए.एम.एस. डिग्री एवं संबंधित बोर्ड में पंजीकृत।
   (ब) कम्प्यूटर एम.एस. ऑफिस का ज्ञान।
   (स) भारत सरकार आयुष मंत्रालय के अन्तर्गत संचालित परियोजना में कार्यानुभव को वरीयता।
2. अभ्यर्थी की अधिकतम आयु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
3. प्रोजेक्ट दिशा निर्देशों के अनुसार कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता को प्रतिमाह रूपये 31,000+ HRA/– (रू. एकत्तीस हजार मात्र + एच.आर.ए. नियमानुसार) निश्चित राशि (मानदेय) देय होगी।
4. प्रोजेक्ट अंतर्गत कार्य समाप्ति के पश्चात कार्यकाल स्वयमेव समाप्त हो जावेगा जिसकी सूचना पृथक से नहीं दी जावेगी।
5. चयनित अभ्यर्थी को नियम एवं शर्तों के अनुरूप कार्य करना होगा एवं किसी भी स्थिति में कार्यमुक्त होने से पूर्व संस्थान की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
6. अनुबंधित व्यक्ति को संस्थान के पूर्व अनुमति के बिना सपादित किये गये कार्यों की जानकारी तृतीय पक्ष को हस्तान्तरित, प्रकाशित एवं उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। कार्य प्रारंभ करते समय इस आशय का वचन पत्र 100 रू. के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
7. संबंधित के त्याग पत्र देने की स्थिति में अथवा परियोजना के समाप्त होने के पश्चात सभी दस्तावेजों एवं संस्थान द्वारा उपलब्ध सामग्री को संस्थान में जमा कराना अनिवार्य होगा।
8. यह सेवाएं सम्बन्धित प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूर्णतः अंशकालिक अनुबंध मात्र है। अतः भविष्य में नियमितिकरण से संबंधित कोई भी दावा (क्लेम) मान्य नहीं होगा।
9. संबंधित व्यक्ति किसी भी हैसियत से संस्थान स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे ओर वह लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
10. अनुबंधित उम्मीदवार को अनुबन्ध के पूर्व इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं, साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत नहीं है।
11. कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता हेतु सामान्यतः कार्यालयीन समय प्रातः 09 से सायं 05 बजे तक उपस्थित होकर परियोजना प्रभारी द्वारा सौपे गये कार्य संपादित करना होगा तथापि अवकाश के दिनों में आवश्कता होने पर उपस्थित होना होगा, जिसकी पृथक से भुगतान देय नहीं होगा।

Scanned with OKEN Scanner

12. परियोजना प्रभारी के माध्यम से उपस्थिति सत्यापित होने के पश्चात ही मानदेय का भुगतान अगले माह में किया जायेगा।

13. सामान्यतः शासकीय अवकाश के दिवस एवं एक कैलेण्डर वर्ष में कुल 13 आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

14. अनुबंधित व्यक्ति किसी भी स्थिति में किसी गैरकानूनी अथवा राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा।

15. अनुबंधित व्यक्ति का कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

16. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी पं. खुशीलाल शर्मा शास. (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल का निर्णय अन्तिम एवं बंधनकारी होगा।

17. चयन हेतु निम्नानुसार अंको के इन्डेक्स तैयार कर मेरिट सूची निर्मित की जावेगी।

1) बी.ए.एम.एस. उपाधि – 50 अंक
2) भारत सरकार आयुष मंत्रालय की परियोजना में कार्य करने का अनुभव (न्यूनतम 06 माह) प्रत्येक वर्ष के लिए 04 अंक (अधिकतम 20 अंक)
3) साक्षात्कार – 30 अंक

-00-

(डॉ. उमेश शुक्ला)
प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner